

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)
प्रकरण संख्या 80/2024 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेशन एक्ट)
केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाईनेन्स लि. क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट नं. 13 द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर, प्रताप
नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

प्राधी वित्तीय बैंक

बनाम

1. लालचन्द मलिक पुत्र श्री किरामत मलिक
2. सोमिरेन मलिक पत्नी लाल चन्द मलिक
निवासी दर्जियों की गली, गड बाजार, किशनगड रेनवाल, जयपुर एवं
मैसर्स लाल चन्द मलिक तुकान नम्बर 10 प्रथम तल कृष्णा एन्क्लेव, प्लॉट नम्बर 13 खसरा नम्बर
901, ग्राम रेनवाल, तहसील किशनगड, जिला जयपुर ।

अप्राधीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

सुविधा-श्री नवीन शर्मा अधिवक्ता प्राधी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 22.04.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राधी वित्तीय बैंक ने अप्राधीगण ऋणी को दिनांक 27.12.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राधी लालचन्द मलिक के स्वामित्व की सम्पत्ति कृष्णा एन्क्लेव, प्लॉट नम्बर 13 खसरा नम्बर 901 ग्राम रेनवाल तहसील किशनगड स्थित प्रथम मंजिल तुकान नम्बर 10 क्षेत्रफल 10.5 वर्गगज को बन्धक रख कुल 9,00,813/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राधीगण ऋणी द्वारा प्राधी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में अशफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राधीगण ऋणी को दिनांक 11.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूत ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राधी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उत्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इगताव उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्राधी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधी बैंक ने अप्राधीगण को 9,00,813/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राधी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राधी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल 10,41,354 रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 11.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लालचन्द मलिक के स्वामित्व की सम्पत्ति कृष्णा एन्कलेव, प्लॉट नम्बर 13 खसरा नम्बर 901 ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ स्थित प्रथम मंजिल की दुकान नम्बर 10 क्षेत्रफल 10.5 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

110
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)